आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प 8(सडकसुरक्षा)अकाद / 2015 / 316 दिनांकः 30 जूलाई, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः यातायात नियमों की पालना एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में।
संदर्भः शासन सचिव.उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के डायरी संख्या 3640 दिनांक 16.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में लेख है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में दुपहिया वाहन चालकों की मृत्यु दर सबसे अधिक है। अधिकाशतः युवा वर्ग दुपहिया वाहनों का उपयोग अधिक करता है। युवा देश की शक्ति एवं भविष्य हैं। अतः इनका जीवन सुरक्षित रहे इस दृष्टि से इन्हें यातायात के नियमों की पालना करने हेतु निर्देशित किया जावे।

महाविद्यालय के छात्र दुपहिया वाहन का प्रयोग करते समय आई.एस.आई. मार्क हेल्मेट आवश्यक रूप से धारण करें। पीछे बैठने वाली दूसरी सवारी को भी हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। केवल लाइसेन्सधारी युवा ही वाहन का प्रयोग करें। अत्यधिक गति, दो से अधिक सवारी, नशा एवं यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर ही दुर्घटनायें होती हैं। अतः उक्त निर्देशों के साथ ही इन्हें यातायात के नियमों की जानकारी दिया जाना एवं इनका पालन करने हेतु संकल्पित बनाना आवश्यक है।

दुपहिया या अन्य वाहनों से महाविद्यालय आने वाले छात्रों की मॉनिटरिंग कर हेल्मेट आदि का प्रयोग नहीं करने वाले छात्रों को इसके दुष्परिणाम के बारे में बताते हुये उन्हें इसके प्रयोग हेतु तैयार किया जाना सुनिश्चित करें' वही दूसरी ओर अन्यान्य माध्यमों से अभिभावकों तक यह संदेश प्रेषित किये जाने का प्रयास करें।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव,उच्च शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प 8(सडकसुरक्षा)अकाद / 2015 / 316 दिनांकः 30जूलाई, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव ,शासन सचिव,उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के डायरी संख्या 3640 दिनांक 16.07.2019 के संदर्भ में।
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

30.7.19
(डॉ. आर.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)